लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक, अधिशासी अभियन्ता जोन–3 लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ। पत्र सॅख्याः NR-182/AA Zone-3	सेवा मे, मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फ्रा प्रमोटर्स द्वारा–आर.ई.पी.एल. वाई.एम.सी.ए. बिल्डिंग 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ। दिनॉक 26/8/2013

विषय

खसरा सॅख्याः 397स, 399स ग्राम अहिमामऊ लखनऊ ,पर प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मानचित्र पर सम्यक विचारोपरान्त तकनीकी समिति की बैठक दिनॉकः 27.5.2013 में विषय सॅख्याः 29 पर निम्न प्रतिबन्धों सहित स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है–

देय शुल्क–

1. अम्बार शुल्क — शासनादेश के अनुसार निर्माण सामग्री अपने परिसर में रखने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर देय नहीं।
2. निरीक्षण शुल्क — रू– 27,65,000.00
3. जल व्यय शुल्क — रू– 55,200.00
4. बाहय विकास शुल्क — रू– 5,65,16,000.00 (बोर्ड बैठक के निर्णयोपरान्त अंतिम मूल्यांकन के आधार पर उक्त शुल्क में घटोत्तरी/बढोत्तरी होने की दशा में अतिरिक्त धनराशि पक्ष को जमा करनी होगी)
5. अतिरिक्त एफ.ए.आर शुल्क — रू– 2,82,35,000.00
6. कय योग्य एफ.ए.आर. शुल्क — रू– 3,52,70,000.00
7. बंधा निर्माण शुल्क — रू– 97,81,000.00. (बन्धा निर्माण लागत की दर अनुमानित है, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। स्वीकृति उपरान्त अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर उक्त लागत में घट–बढ होने की दशा में अतिरिक्त धनराशि पक्ष को जमा करनी होगी)
8. आन्तरिक विकास शुल्क — प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय से जॉचोपरान्त 1% निरीक्षण शुल्क व 50% बैंक गारण्टी जमा करनी होगी।

प्रतिबन्ध–

1. प्रस्तावित बेसमेंट एवं स्टिल्ट को वाहनों की पार्किंग का विकास सुनिश्चित करना होगा।
2. सीवर निस्तारण की व्यवस्था विधुत कनेक्शन, वाटर सप्लाई, सीवर, पानी का निकास, पीने का पानी की व्यवस्था आदि का विकास तथा कनेक्टिविटी पक्ष द्वारा स्वतः सुनिश्चित की जायेगी।
3. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसमें अंकित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसमें अंकित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. प्रस्तावित योजना में वॉछित आबादी हेतु सुविधाजनक दुकानें, कम्युनिटी सेन्टर, क्लब, नर्सरी स्कूल आदि का विकास सुनिश्चित करना होगा।
6. भवन निर्माण में नेशनल सेफटी काउंसिल के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. शासनादेश के कम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्रमाण पत्र मानचित्र आदि प्रस्तुत करना होगा।
8. एन.बी.सी. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विकलांग, दृष्टिबाधित व आशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. प्रस्तावित योजना में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. योजना को एमटेक (स्ट्रक्चरल इंजीनियर) के माध्यम से स्ट्रक्चरल सेफटी एवं भूकम्परोधी की डिजायन तैयार करा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन के उपयोग की अनुमति दी जायेगी।
13. नगर निगम को स्थानान्तरण करना तथ तदोपरान्त कियाशील अवस्थापना सुविधाओ के रख–रखाव की जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
14. समस्त वॉछित विभागों की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार वॉछित कुल देय धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कर चालान की मूल/सत्यापित प्रति एवं वॉछित अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

26/8/13

(ओ0 पी0 मिश्रा)
अधिशासी अभियन्ता जोन–3